न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 218/2021

श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)

—प्रार्थी

—बनाम—

1. मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)जरिये मैनेजर/ट्रस्टी
3. मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)जरिये पुजारी/सेवादार
4. मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)जरिये सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति :—

1. श्री अमित कुमार अधिवक्ता................................प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 सेवादार व पूजारी स्वंय उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।

—निर्णय—

दिनाक 31.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है— प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा एम. एल. नं. 47/2007

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप–2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ में स्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम चौढाणी के खसरा संख्या 460 रकबा 0.8700 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 461 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 957 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किस्म बारानी–3, खसरा संख्या 958 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 959 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 960 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 961 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 962 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 963 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 964 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 965 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 966 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 967 रकबा 0.6200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 968 रकबा 0.6300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 969 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 970 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही–A, व बारानी–1, खसरा संख्या 971 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 972 रकबा 0.2300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 973 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 974 रकबा 0.2800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 975 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 976 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 978 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा [illegible] रकबा 0.2900 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 981 रकबा [illegible]250 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 986 रकबा [illegible] हैक्टेयर कि[illegible] गै.मु. कुआ व बारानी–A, खसरा संख्या 990 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ कुल रकबा 8.7700

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad
Garg
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

हैक्टेयर भमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 मन्दिर श्री गोपीनाथ जी निवासी ग्राम चौढाणी, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पटटा एम. एल. न. 47/2007, खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप–2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए [illegible] अनुसार प्रार्थी को ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ़ में स्थित भू[illegible] खसरा नम्बर पृथक–पृथक है के खातेदारान से भूमि अव[illegible]कर कम्पनी ख[illegible] कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम चौढाणी के खसरा संख्या 460 रकबा 0.8700 हैक्टेयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

बारानी–2, खसरा संख्या 461 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 957 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किस्म बारानी–3, खसरा संख्या 958 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 959 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 960 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 961 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 962 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 963 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 964 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 965 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म चाही–A,खसरा संख्या 966 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 967 रकबा 0.6200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 968 रकबा 0.6300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 969 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 970 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही–A, व बारानी–1, खसरा संख्या 971 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 972 रकबा 0.2300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 973 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 974 रकबा 0.2800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 975 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 976 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 978 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 979 रकबा 0.2900 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 981 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 986 रकबा 0.5200 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ व बारानी–A, खसरा संख्या 990 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ कुल रकबा 8.7700 हैक्टेयर भमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 मन्दिर श्री गोपीनाथ जी निवासी ग्राम चौढाणी, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदाय करना [illegible] है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] कर उपरोक्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gothwal
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सेवादार पूजारी स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ में एक गोपीनाथ जी तन्दिर के नाम की भूमि है, जिसकी अप्रार्थीगण को तय शुदा रेट नही दी जा रही है। यदि अप्रार्थीगण को कम्पनी की तय शुदा रेट दी जाती है तो उक्त भूमि को खाली का देगे। तथा निवेदन किया है कि उक्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारण करने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के लिखित में प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि माफि मन्दिर श्री गोपीनाथ जी के मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार आयुक्त देवस्थान विभाग के पक्ष मे किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी ने प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(1) प्र.सु./अनुभाग–3/2015 जयपुर दिनांक 19.01.2015 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त मंदिर एवं इससे संबंधित आराजी के प्रबंधन एवं व्यवस्था के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है। अतः इस संबंध में समस्त कार्यवाही उक्त कमेटी द्वारा ही की जानी है।

मैने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सेवादार पूजारी स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ में एक गोपीनाथ जी तन्दिर के नाम की भूमि है, जिसकी अप्रार्थीगण को तय शुदा रेट नही दी जा रही है। यदि अप्रार्थीगण को कम्पनी की तय शुदा रेट दी जाती है तो उक्त भूमि को खाली का देगे। तथा निवेदन किया है कि उक्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारण करने पर कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया है। प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांक प.6(17) प्र.सु./अनु. 3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी इकाई को माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम चौढाणी के खसरा संख्या 460 रकबा 0.8700 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 461 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 957 रकबा 0.1800

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

हैक्टेयर किस्म बारानी–3, खसरा संख्या 958 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 959 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 960 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 961 रकबा 0. 1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 962 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 963 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 964 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 965 रकबा 0. 2200 हैक्टेयर किस्म चाही–A,खसरा संख्या 966 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 967 रकबा 0.6200 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 968 रकबा 0.6300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 969 रकबा 0. 2600 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 970 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही–A, व बारानी–1, खसरा संख्या 971 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 972 रकबा 0.2300 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 973 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 974 रकबा 0. 2800 हैक्टेयर किस्म चाही–A, खसरा संख्या 975 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 976 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ, खसरा संख्या 978 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 979 रकबा 0.2900 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 981 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 986 रकबा 0.5200 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ व बारानी–A, खसरा संख्या 990 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कुआ कुल रकबा 8.7700 हैक्टेयर भमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 मन्दिर श्री गोपीनाथ जी निवासी ग्राम चौढाणी, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 460, 461, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979 व 990 जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तथा खसरा नम्बर 965 व 964 की लीज क्षेत्र से दूरी 30 मीटर, खसरा नम्बर 960,961, 962, 963 की लीज क्षेत्र से दूरी 80 मीटर, खसरा नम्बर 959 की लीज क्षेत्र से दूरी 60 मीटर, खसरा नम्बर 957, 958, 981, 986 की लीज क्षेत्र से दूरी 180 मीटर जो खनन क्षेत्र की सेफ्टी जोन में स्थित है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,01,361/–रुपये प्रति हैक्टेयर होती है तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 19 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ [illegible] अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यो हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goud
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकिती ऐसे व्यक्तियो को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1(3) राज–6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राईवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नही होते है। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नही किया गया है। अतः प्रकरण में नये एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मैं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुडी हुई सम्पतियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 19 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जायेगा, वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपति की कीमत को जोड़ा जाना है [illegible] 30 (1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि [illegible] राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अवधि के लिये प्रदान किया गया हैं, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खतेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुयें प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र मंदिर श्री गोपीनाथ जी खातेदारी में अंकित है, जो एक अराजकीय मंदिर होने से इसके नाम खातेदारी भूमि की प्रतिकर राशि आयुक्त देवस्थान विभाग के निजी निक्षेप खाते में जमा कराई जावे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी आज्ञा संख्या प. 6 (1) प्र.सु./अनु. 3/2015/19.01.2015 के द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रतिकर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि से देवस्थान विभाग के पत्रांक प. 5 (9) देव/2003/जयपुर दिनांक 25.02.2015 के अनुसरण में कृषि योग्य भूमि क्रय कर संबंधित मंदिर जिसकी भूमि आवाप्ति पर मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। उक्त मंदिर को क्रयशुदा भूमि आवंटित/उपलब्ध कराई जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता है:–

क्रं. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3x5)	नगर पालिका से दूरीकिमी मे व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	मन्दिर श्री गोपीनाथ जी	460	0.8700 हैक्टेयर	बारानी–2	501361	436184	19	1.50	654276
		461	0.7000 हैक्टेयर	बारानी –2	501361	350953	19	1.50	526429
		957	0.1800 हैक्टेयर	बारानी –3	501361	90245	19	1.50	135367
		958	0.0800 हैक्टेयर	चाही–A	501361	40109	19	1.50	60163
		959	1.4400 हैक्टेयर	चाही–A	501361	721960	19	1.50	1082940
		960	0.1700 हैक्टेयर	चाही–A	501361	85231	19	1.50	127847
		961	0.1500 हैक्टेयर	चाही–A	501361	75204	19	1.50	112806
		962	0.1500 हैक्टेयर	चाही–A	[illegible]0136[illegible]	75204	19	1.50	112806
		963	0.2000 हैक्टेयर	चाही–A	50[illegible]	100272	19	1.50	150408

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

		964	0.4000 हैक्टेयर	चाही–A	501361	200544	19	1.50	300816
		965	0.2200 हैक्टेयर	चाही–A	501361	110299	19	1.50	165449
		966	0.0200 हैक्टेयर	चाही–A	501361	10027	19	1.50	15041
		967	0.6200 हैक्टेयर	चाही–A	501361	310844	19	1.50	466266
		968	0.6300 हैक्टेयर	चाही–A	501361	315857	19	1.50	473786
		969	0.2600 हैक्टेयर	चाही–A	501361	130354	19	1.50	195530
		970	0.3100 हैक्टेयर	चाही–A	501361	155422	19	1.50	233133
		971	0.2700 हैक्टेयर	चाही–A	501361	135367	19	1.50	203051
		972	0.2300 हैक्टेयर	चाही–A	501361	115313	19	1.50	172969
		973	0.2500 हैक्टेयर	चाही–A	501361	125340	19	1.50	188010
		974	0.2800 हैक्टेयर	चाही–A	501361	140381	19	1.50	210571
		975	0.0400 हैक्टेयर	गै.मु. कुआ	501361	20054	19	1.50	30081
		976	0.0400 हैक्टेयर	गै.मु. कुआ	501361	20054	19	1.50	30081
		978	0.1100 हैक्टेयर	गै.मु. आबादी	501361	55150	19	1.50	82725
		979	0.2900 हैक्टेयर	गै.मु. रास्ता	501361	145394	19	1.50	218092
		981	0.2500 हैक्टेयर	बरानी–1	501361	125340	19	1.50	188010
		986	0.5200 हैक्टेयर	गै.मु. कुआ व बारानी–A	501361	260707	19	1.50	391061
		990	0.0900 हैक्टेयर	गै.मु. कुआ चाही–A	501361	45122	19	1.50	67683
B	योग	27	8.7700						6595397
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ो की मालियत								355000
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) कुआ, निर्माण								1850000

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goel
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)	8800397
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)	8800397
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)	17600794

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पूर्णांक राशि रुपये 1,76,00,794/—अक्षरे (एक करोड़ छियत्तर लाख सात सौ चौरानवे रुपये मात्र) **आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर** के नाम से चैक बनाकर तहसीलदार नवलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त मुआवजा राशि का भुगतान आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर को कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज श्री सीमेन्ट लिमिटेड अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशो, लीज डीड व विभागीय परिपत्रो के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (2) में वर्णित माईनिंग के सबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यो (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 19.01.2015 के द्वारा उपरोक्तानुसार गठित कमेटी के सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested